

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244] No. 1244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2011/आषाढ़ 10, 1933 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2011/ASADHA10, 1933

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2011

का.आ.1492(अ).—यह कि, केन्द्र सरकार का यह विचार है कि किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत गठित अथवा स्थापित उन सभी निकायों, जिनके लिए अपने लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक से करवाना अनिवार्य है, को ऐसा करने से छूट प्रदान करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है।

अत:, इसलिए, केन्द्र सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 की संख्या 42) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सभी सन्दर्भित सांविधिक निकायों को, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 की संख्या 42) के सभी प्रावधानों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. II/21022/9(1)/2008-एफ.सी.आर.ए.-III] जी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2011

S.O. 1492(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the interests of the general public to exempt all bodies constituted or established by or under a Central Act or a State Act requiring to have their accounts compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby exempts all the said statutory bodies from the operation of all the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. II/21022/9(1)/2008-FCRA-III]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.